न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 60/2020 राजस्व अपील

1. कंचन पुत्र श्री रामकुंवार जाति गुर्जर निवासी पापडा की ढाणी उप तहसील बडियाल कलां तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील बडियाल कलां जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उप तहसीलदार बडियाल कलां निर्णय दिनांक 28.07.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कंचन मु. नं. 02/2020 अन्तर्गत धारा 91 राज.लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री राजेश उदाला अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक: 07.09.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बेधाडी गुजरान द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बडियाल कलां के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम पापडा की सरकारी भूमि गै.मु. रास्ता के खसरा नं. 112 कुल रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है. भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर उप तहसीलदार बडियाल कलां द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्ध बिना विधिवत तामील हुए बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर दिनांक 28.07.2020 को अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा व विवादित आराजी से बेदखल कर लगान दर्ज कर 50 गुणा पेनल्टी की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.07.2020 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई एवं बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर कानून नियम, उपनियम के खिलाफ है इसलिये निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत का पूर्ण अवसर नहीं देकर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में

फोटो प्रति प्रमाणित
प्रभारी अधिकारी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर
दौसा

भी यह अंकित नहीं किया है कि अपीलान्ट ने कौनसी फसल काश्त की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक्जिबिट नहीं हुई है। अपीलान्ट ने ग्राम पापडा में स्थित गै. मु. रास्ता भूमि ख. नं. 112 रकबा 0.04 है. में से 0.01 है. पर किये गये अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं आज दिन उक्त आम रास्ता पूर्णतया सुचारु रूप से चालू होना एवं भविष्य में उक्त रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निर्णय दिनांक 28.07.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम पापडा की सरकारी भूमि गै.मु. रास्ता के खसरा नं. 112 कुल रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.01 है. भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 28.07.2020 को बेदखल करने एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जाकर निर्णय दिनांक 28.07.2020 यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पापडा में स्थित गै. मु. रास्ता भूमि ख. नं. 112 रकबा 0.04 है. में से 0.01 है. पर किये गये अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा लिया जाना एवं आज दिन उक्त आम रास्ता पूर्णतया सुचारु रूप से चालू होना एवं भविष्य में उक्त रास्ते पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए निर्णय दिनांक 28.07.2020 में से सिविल कारावास की सजा को निरस्त करने का निवेदन किया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम पापडा में स्थित गै. मु. रास्ता भूमि ख. नं. 112 रकबा 0.04 है. में से 0.01 है. पर अतिक्रमण हटा लिया जाने बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र उप तहसीलदार बडियाल कलां द्वारा सत्यापित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.07.2020 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाण्ति प्रति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बडियाल कलां को प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official